

आदेश

सं०सं०-2/आर-82/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० शिवशंकर झा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोभी, गया का दिनांक-13.04.2024 से 03.06.2024 तक कुल-52 (बावन) दिन अवकाश अवधि को महालेखाकार बिहार, पटना के ज्ञापाक-LR : 290720241000506 , LR No : 0253/2024-2025 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-82/2025- 955(2) पटना, दिनांक 7/5/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोभी, गया/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/डा० शिवशंकर झा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोभी गया/प्रशाखा-3, 9, 18A को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Wahm K 6/5/26
सरकार के उप सचिव।